

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/2106 दिनांक 23-1-2012

आदेश

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा (103), राजकीय कालेज तथा संस्थान (03), राजकीय महाविद्यालय स्त्रियों के लिए , 01 संवेतन मद में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	मद	आवंटित बजट
1	कन्या, चित्तौड़गढ़ (302)	01-सवेतन	20.00
2	कन्या, चौमूं (303)	01-सवेतन	10.00
3	कन्या, दौसा (304)	01-सवेतन	10.00
4	कन्या, झालावाड (305)	01-सवेतन	5.00
5	कन्या, कोटा (309)	01-सवेतन	5.00
6	कन्या, शाहपुरा, जयपुर (316)	01-सवेतन	20.00
7	कन्या, कोटपूतली (3170)	01-सवेतन	40.00
8	कन्या, जैसलमेर (5846)	01-सवेतन	5.00
9	कन्या, बालोतरा (306)	01-सवेतन	5.00
10	कन्या, बाडमेर (24208)	01-सवेतन	5.00
11	कन्या, नीम का थाना (311)	01-सवेतन	20.00
12	कन्या, बारा (17303)	01-सवेतन	20.00
13	कन्या महा. झुन्झुनू (307)	01-सवेतन	10.00
	योग		175.00

राजकीय महाविद्यालय, तारानगर की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 51 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 789, अनुसूचित जातियों के लिए, विशिष्ट संघटक योजना (01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिए) 01-सवेतन मद में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	सवेतन मद
1	राज0 महा0 तारानगर (11180)	4.50
	योग	4.50

उक्त राशि का आहरण सामान्य लेखा नियमों के अनुसार किया जावे।



संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ20(101/05) आयो/आकाशि/2011/2106 दिनांक 23-1-2012

प्रतिलिपि. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
- 2- संबंधित प्राचार्य, को भेजकर लेख है कि वास्तविक व्यय की सूचना इकजाही कर अविलम्ब भिजवाये जिससे की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जा सके।
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर।
- 4- रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर